

#### निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्ब बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

28 सितंबर 2024

## डीआईसीजीसी अधिनियम, की धारा 18 ए के अंतर्गत भुगतान– भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा सर्व समावेशी निदेशों (एआईडी) के अंतर्गत रखा गया बैंक

डीआईसीजीसी अधिनियम, 1961 की धारा 18ए के अनुसार निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) निम्नानुसार निर्दिष्ट बैंक के पात्र जमाकर्ताओं को भुगतान करेगा। यह भुगतान संबंधित बैंक द्वारा, डीआईसीजीसी द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से, 45 दिनों की वैधानिक समय सीमा के भीतर अर्थात 11 नवंबर 2024 तक जमाकर्ता सूची प्रस्तुत किए जाने के अधीन होगा।

अनु क्र.	बैंक का नाम	शहर, राज्य	दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तारीख	भुगतान की तारीख
1	श्री महालक्ष्मी अर्बन कोआपरेटिव क्रेडिट बैंक लिमिटेड (समावेशी दिशानिर्देशों की तिथि 27 सितंबर 2024)	गोकक, कर्नाटक	11 नवंबर 2024	26 दिसंबर 2024

- 2. उपरोक्त बैंक के जमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे अपने जमा बीमा दावों को बैंक में जमा करें। दावे पहचान के आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेजों और उनके नाम पर जमा राशि प्राप्त करने की लिखित सहमित (सम्मित घोषणा) द्वारा समर्थित हो। साथ ही अपने वैकल्पिक बैंक खाते का विवरण भी प्रदान करें जिसमें यह राशि, समान क्षमता और समान अधिकार में अधिकतम 5 लाख रुपए, जमा की जा सके। कृपया ध्यान दें कि प्रस्तुत की गई सम्मित घोषणा बैंक में जमाकर्ता द्वारा रखे गए सभी जमा खातों के लिए लागू होगी।
- 3. जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वैध दस्तावेज जमा करने वाले जमाकर्ताओं को भुगतान उनके द्वारा निर्दिष्ट वैकल्पिक बैंक खाते या उनकी सहमति पर, उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में क्रेडिट द्वारा जमा किया जाएगा। यह



## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

#### **DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION**



वेबसाइट : <a href="https://dicgc.org.in/hindi/">https://dicgc.org.in/hindi/</a> Website: <a href="https://dicgc.org.in">www.dicgc.org.in</a> ई-मेल/email : <a href="dicgc@rbi.org.in">dicgc@rbi.org.in</a>



बैंक द्वारा धारा 18 ए (2) के अनुसार जमाकर्ता सूची प्रस्तुत करने की वैधानिक समय सीमा का पालन किए जाने के अधीन होगा।

(पवनजीत कौर ऋषि) उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/13



#### निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(भारतीय रिज़र्व बैंक के संपूर्ण स्वामित्व वाली सहयोगी) Wholly owned subsidiary of the Reserve Bank of India



वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : dicgc@rbi.org.in

September 28, 2024

# Payment under Section 18A of DICGC Act – Bank placed under All Inclusive Directions (AID) by Reserve Bank of India (RBI)

The Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) will be making payments to the eligible depositors of the bank as specified below, in terms of Section 18A of the DICGC Act, 1961, subject to submission of depositor list by the bank concerned, in such form and manner as prescribed by DICGC within statutory timeline of 45 days i.e., by November 11, 2024.

Sr.No	Name of the Bank	City, State	Last date for submission of claim/ willingness	Date of payment by DICGC
1	Shree Mahalaxmi Urban Co- operative Credit Bank Ltd. (AID w.e.f. September 27, 2024)	Gokak, Karnataka	November 11, 2024	December 26, 2024

2. Depositors of the above bank are advised to submit their deposit insurance claims to the bank. The claims should be supported by officially valid document/s of identity and written consent to receive the amount lying in credit of their deposit (willingness declaration), subject to a maximum of Rs.5 lakh in same capacity and in the same right, along with alternate bank account details into which the said amount will be credited. Please note that the willingness submitted shall be construed applicable for all deposit accounts held by a depositor in the bank.



## निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

#### **DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION**



वेबसाइट : <u>https://dicgc.org.in/hindi/</u> Website: <u>www.dicgc.org.in</u> ई-मेल/email : <u>dicgc@rbi.org.in</u>



3. Depositors submitting valid documents, as mentioned above, will be paid by credit to the alternate bank account specified by depositors, or on their consent, to their Aadhaar linked bank account, subject to bank abiding by the statutory timelines of depositor list submission in terms of Section 18 A (2).

(Pawanjeet Kaur Rishi) Deputy General Manager

Press Release: 2024-2025/13